

**Memorandum submitted by AILRSA regarding their Pay scales**

4254. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Loco Running Staff of Indian Railways are continuously struggling against the serious deprivation of their pay scales by the fifth Pay Commission;

(b) whether it is a fact that All India Loco Running Staff Association (AILRSA) submitted detailed memorandum to the Minister for Railways on 26th March, 1998 and 20th May, 1998; and

(c) if so, the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) The fifth Central Pay Commission had made certain recommendations about the pay scales for Loco Running Staff, suggesting improvement in the case of certain categories. While implementing the recommendations, considerable further improvement in the pay structure recommended for this category of staff was effected. Despite that, Loco Running Staff have been submitting representations demanding, inter-alia, further improvement in their pay scales.

(b) Yes, Sir.

(c) The demands contained in the memoranda have been considered and it has not been found possible to accept the same.

**मंडल रेल प्रबंधक को प्रदान किये गए आवास की टाइप**

4255. श्री चुन्नी लाल चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंडल रेल प्रबंधक (डाआरएम) को किस टाइप, ग्रेड और कितने क्षेत्र का आवास दिया जाता है,

तथा किराए और अन्य खर्च की कितनी धनराशि रेल विभाग द्वारा वहन की जाती है, और

(ख) क्या मंडल रेल प्रबंधक बंगले को तोड़कर और अतिरिक्त कमरे बनवा कर अपनी इच्छानुसार बनाया गया सरकारी आवास (बंगला) प्राप्त कर सकता है, यदि हां, तो किस आधार पर, क्या वह अपने शौक के लिए तरण ताल का निर्माण करवा सकता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) मंडल रेल प्रबंधक को उपलब्ध कराए जाने वाले आवास की टाइप, ग्रेड और क्षेत्रफल अलग से नहीं निर्धारित किया गया है। आवास के एक कमरे को आफिस कार्य के लिए उपयोग किये जाने की अनुमति है, जिसका किराया और बिजली प्रभारों को रेलवे द्वारा वहन किया जाता है। आवास के नियमति रख-रखाव पर होने वाले खर्च को भी रेलवे द्वारा वह किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

**सरकारी आवास को तोड़कर मंडल रेल प्रबंधक, इलाहाबाद के लिए तरण ताल का निर्माण**

4256. श्री चुन्नी लाल चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंडल रेल प्रबंधक, इलाहाबाद अपने बंगले के आस-पास आवंटित सरकारी क्वाटरों को तोड़कर अपने शौक के लिए एक तरण ताल बनवा रहा है, यदि हां, तो किस आधार पर, और

(ख) मंडल रेल प्रबंधक, इलाहाबाद के बंगले का क्षेत्र कितना है और खुला क्षेत्र कितना है तथा मोटर गैरेज सहित स्टाफ क्वार्टरों की संख्या क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) ब्यौरा निम्नासुर है:-

कवर्ड क्षेत्रफल	-	478 वर्ग मी.
सडक क्षेत्रफल	-	972 वर्ग मी.